2017/111

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –88/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
गरीबराम मण्डा पुत्र हरदीनराम जाति जाट मण्डा मूल निवासी ढ़ाढ़रिया हाल कुचेरा तहसील मूण्डवा जिला नागौर		तहसीलदार मेड़ता, जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट्स की ओर से वकील श्री सांवरराम चौधरी।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 22.09.2017

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार मेड़ता द्वारा मुकदमा नम्बर 41/2015 सरकार बनाम रीछपाल मिर्धा वगैरह अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2016 से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.7.2017 को प्रस्तुत की गई। अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्टस् ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त आदेश 28.1.2016 से पूर्व व उसके पश्चात् दिनांक 10.7.2017 तक अपीलान्ट को उक्त आदेश की कोई जानकारी नहीं थी। गांव में चर्चा सुनी की किसी असामाजिक तत्व ने अपीलान्ट व उक्त खसरे पर काबिज रिछपाल वगैरह के विरूद्ध झूठी शिकायत व रिपोर्ट दर्ज करवाकर उक्त पुराने कब्जाशुद स्वामित्व व उपयोग की आराजी से बेदखली व जुर्माने का आदेश तहसीलदार मेड़ता से करवा दिया है, जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 10.07.2017 को मेड़ता तहसील कार्यालय में पता करवाया व नकल आवेदन पेश करने पर दिनांक 10.7.2017 को सांय उक्त आदेश व पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त हुई। तत्पश्चात नागौर आकर उक्त अपील पेश की है, जो जानकारी की दिन से अन्दर मयाद शुमार किया जाना न्याय संगत होने का कथन करते हुए न्याय हित में देरी माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। राजपैराकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने कथन किया की प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार करने के पश्चात अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का ने अपीलान्ट से राजनैतिक रंजिश रखने वाले लोगों के बहकावे में आकर तहसीलदार मेड़ता के समक्ष रिपोर्ट की है तथा तहसीलदार ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना केवल मात्र कथित रामरतन नामक व्यक्ति को अपीलान्ट का प्रतिनिधि बताकर उसकी उपस्थिति बताकर आदेश पारित किया गया है, जबकि रामरतन अपीलान्ट का न तो प्रतिनिधि रहा है न ही अपीलान्ट की कभी सम्यक तामील हुई है न ही

कलक्टर, नागौर

नागौर (राजस्थान)

अपीलान्ट ने उक्त रामरतन को ऐसे किसी प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से उपस्थिति देने हेतु अधिकृत ही किया था। इसके बावजूद अपीलान्ट की पर्याप्त तामिल करवाये बिना, अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश जैर अपील पारित किया है, जो अपास्त योग्य है।

खसरा नम्बर 1484 रकबा 0.0135 हैक्ट0, ख0नं0 1485 रकबा 0.32 हैक्ट0, ख0नं0 1496 रकबा 0.69 हैक्ट0, कुल 1.0235 हैक्ट0, वाके मौजा गोटन किस्म भूमि गै0मु0 मंगरा पर अपीलान्ट सहित कई लोगों का कदीमी से कब्जा रहता चला आया है। उक्त भूमि पर सन् 1991 से पूर्व के कब्जे होने से उक्त खसरान का काफी रकबा समय समय पर सरकारी परिपत्रों व पुराने कब्जे के आधार पर नियमन भी किया गया है। विवादित खसरान में से खसरा नम्बर 1496 का रकबा 1.29 हैक्टयर अपीलान्ट सहित रिछपाल के नाम से नियमन हो रखा है लेकिन नियमन के समय उक्त खसरा का रकबा 0.69 हैक्टयर रकबा पिछे छोड़ दिया व उपरोक्त अन्य खसरान पर भी खसरा नम्बर 1496 की तरह पुराना कब्जा होते हुऐ भी उनका निमयन नहीं किया, जबकि समय समय पर उक्त तमाम खसरान के उपरोक्त रकबा पर अपीलान्ट व उक्त रिछपाल का कदीमी कब्जा होने बाबत राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है व इस सबंध में अधिनस्थ तहसीलदार मेड़ता ने कोई जॉच किये बिना, सभी दस्तावेज व राजस्व रेकर्ड, पूर्व में किये गये नियमन आदि के तथ्यों का अवलोकन किये बिना व स्वंय के स्तर पर मौके का निरीक्षण किये बिना तथा समय–समय पर अपीलान्ट को दिये गये नोटिसों व भरे जुर्माने की परिस्थितियों को नजर अन्दाज करते हुऐ सरसरी तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट का उक्त गैर मुमकिन मगरा पर पुराना कब्जा रहता चला आया है, जो जुर्माना रसीदों, समय समय पर दिये नोटिसों व जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा लोकायुक्त जयपुर को जारी पत्र क्रमांक–न्याय/लोआस/2017 दिनांक 16.2.2017 में भी अपीलान्ट का पुराना कब्जा माना गया है, जो नियमानुसार नियमन योग्य है।

अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में विधिवत तामील करवाकर तलब कर व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाता तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती, लेकिन अपीलान्ट को ऐसा अवसर नहीं मिला तथा पटवारी हल्का से जिरह आदि का अवसर नहीं मिलने का कथन करते हुऐ अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील अपास्त करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अपनी बहस में वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की अपीलांट द्वारा ग्राम गोटन के खसरा नम्बर 1484 रकबा 0.0135 हैक्ट0, ख0नं0 1485 रकबा 0.32 हैक्ट0, ख0नं0 1496 रकबा 0.69 हैक्ट0, कुल 1.0235 हैक्ट0 किस्म गैर मुमकिन मगरा की भूमि में दिवार निकालकर अतिक्रमण किया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने 91 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलांट की ओर से उनके प्रतिनिधि मैनेजर श्री रामरतन दिनांक 28.01.2016 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, जिन्होने न तो कोई रेकार्ड/साक्ष्य/सबूत पेश किया न ही कब्जा हटाकर सूचित किया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने एंव जुर्माने के आदेश पारित किये है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। पटवारी हल्का गोटन ने ग्राम गोटन के खसरा नम्बर 1484 रकबा 0.0135 हैक्ट0, ख0नं0 1485 रकबा 0.32 हैक्ट0, ख0नं0 1496 रकबा 0.69 हैक्ट0, कुल 1.0235 हैक्ट0 किस्म गैर मुमकिन मगरा की भूमि में दिवार निकालकर अतिक्रमण करने के संबंध में भू–अभिलेख निरीक्षक गोटन से सत्यापित रिपोर्ट दिनांक 01.12.2015 अधिनस्थ न्यायालय

तहसीलदार मेडता के समक्ष प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलांट की ओर से उनके प्रतिनिधि मैनेजर श्री रामरतन तारीख पेशी दिनांक 28.01.2016 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, जिन्होने न तो कोई रेकार्ड/साक्ष्य/सबूत पेश किया न ही कब्जा हटाकर सूचित किया। रामरतन अपीलान्ट का मैनेजर नहीं रहा हो इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि पर उसके द्वारा अतिक्रमण नहीं करने के संबंध में भी कोई ठोस साक्ष्य अथवा सबूत पेश नहीं किये गये है।

इसके अलावा अपीलान्ट के विरूद्ध परिवादी श्री बस्तीराम द्वारा लोकायुक्त सचिवालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद की जांच रिपोर्ट अनुसार भी अपीलांट को मौजा गोटन के खसरा नम्बर 1484, 1485 तथा 1496 पर अतिक्रमी मानते हुए जिला मजिस्ट्रेट नागौर द्वारा अतिक्रमण हटाने बाबत निर्देशित किया गया था, जिसके संबंध में जॉच रिपोर्ट की प्रति भी अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के साथ प्रस्तुत की गई है। उक्त तथ्य से भी अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया जाना साबित है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील दिनांक 28.01.2017 को यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रेकर्ड लौटाते हुवे निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर